न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 50 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
जोगाराम पुत्र घींसाराम जाति माली, निवासी बाड़मेर शहर तहसील व जिला बाड़मेर	1. केवलाराम पुत्र घींसाराम का.मु. 1/1सांगाराम पुत्र केवलाराम 1/2गौतम पुत्र केवलाराम 1/3कमला पत्नी केवलाराम जातियान माली निवासीयान बलदेवनगर बाड़मेर 1/4चनणी पुत्री केवलाराम पत्नी बाबूराम जाति माली निवासी मेघवालो की खांगली बाड़मेर 1/5सुशीया पुत्री केवलाराम पत्नी मदनजी जाति माली 1/6आयचुकी पुत्री केवलाराम पत्नी वीरो जी जाति माली निवासी बलदेवनगर बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर 2. सत्यनारायण पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी गांधीनगर, बाड़मेर 3. श्री तहसीलदार बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 116/2019 बअनवान केवलाराम बनाम जोगाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 16.09.2020 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री करनाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नारायण कुमावत उत्तरदाता की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—11.03.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा बाड़मेर मगरा के खेत खसरा संख्या 500 रकबा 106.04 बीघा अपीलांट व उतरदाता संख्या 01 का बराबर बराबर हिस्सा खातेदारी का है जिसमें अपीलांटस द्वारा एक बीघा जमीन उतरदाता संख्या 02 को बेचान कर दिया है। इस प्रकार अपीलांट का शेष रकबा 52.02 बीघा तथा उतरदाता संख्या 01 का रकबा 53.02 बीघा व उतरदाता संख्या 02 का रकबा 01.00 बीघा खातेदारी में बनता है। उतरदाता संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश उक्त

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वाद में अपीलांटस के सम्मन विधि अनुसार नहीं भेजा गया है परन्तु अपीलांट, उत्तरदाता संख्या 01 का 1/2 हिस्सा स्वीकार करता है। उस अनुसार तक बंटवारा स्वीकार करता है जो एकतरफा आदेश पारित किये जाकर प्राथमिक डिक्री पारित की गई उसे स्वीकार करता है। प्राथमिक डिक्री में तहसीलदार को कमिश्नर नियुक्त किया गया था, जिन्होने मौका पर आकर विभाजन प्रस्ताव नहीं बनाया है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त अपीलांटस को कोई सूचना नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित मौका दिये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। मौके पर पक्षकारान के मध्य हुऐ बाहामी बंटवारे व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया तथा मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना व अपीलांट से आपत्ति लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बाड़मेर को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांटस के फर्जी हस्ताक्षर किये गये। अपीलांट को बिना पूर्व सूचना के आर.आई द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के विपरित तैयार किया गया, जिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है तथा एकपक्षीय रूप से तैयार विभाजन प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अपीलांटस के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–RRT 2016(1) Page 87, RRT 2016-17(Supp.) Page 711, RRT 2015(2) Page 817, RRT 2002(1) Page 403, DNJ 2025(1) Page 161, RRT 2011-12(Supp.) Page 698

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। सभी पक्षकारों की उपस्थिति में हल्का पटवारी व आर. आई. के साथ तहसीलदार बाड़मेर स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार तैयार किया गया है। टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 20 से 21 के अनुसार विधि सम्मत है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवारा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांटस एवं उतरदाता द्वानों के हस्ताक्षर हैं। विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान सहमत थे तथा वर्तमान मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे। उतरदाता के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–RRT 2017(1) Page 105, RRT 2011-12(Supp.) Page 325

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट को अपने खेत की जमाबंदी की आवश्यकता पर दिनांक 22.03.2022 को जमाबंदी की नकल ली गई तब जमाबंदी में अलग अलग भाग दर्ज होने से नामांतकरण संख्या 2488 की नकल ली तथा इन इन्द्राजों के अनुसार वाद में डिक्री व फैसले की नकलें मांगी जो सम्पूर्ण नकलें दिनांक 22.04.2022 व दिनांक 28.04.2022 को मिली जिसे पढ़वाने से प्राथमिक डिक्री, विभाजन प्रस्ताव व अंतिम

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

डिक्री का ज्ञान हुआ। अपील पेश करने में अपीलांटस द्वारा जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अपीलांटस के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–CCC 2022(1) S.C.Page 317, RRT 2002(1) Page 648

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपनी प्रारंभिक आपतियां पेश करते हुए बहस में बताया कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय पारित करने की दिनांक से ही हो गई थी, क्योंकि इस वाद की पूरी प्रक्रिया की जानकारी अपीलांटस को रही है। अपीलकर्ता को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का ज्ञान किस प्रकार, किसके माध्यम से हुआ इसका कोई उल्लेख अपने प्रार्थना–पत्रों में नहीं किया गया है। अपीलांट स्वयं के विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हैं। अपीलांट की अपीलें मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है। अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र को खारिज फरमाया जाकर अपीले इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपील का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा न्यायहित में अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.01.2020 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा मौका रिपोर्ट का मजमून ही साबित कर देता है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है व विभाजन प्रस्ताव पर केवल प्रति हस्ताक्षकर किये गये है। तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 116/2019 बअनवान केवलाराम बनाम जोगाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 16.09.2020 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई समुचित का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.04.2025 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

11/3/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 11.03.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/3/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर